

ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार

आदेश

आ०सं० :-3/अ०प्र०-4-57/2015 29/5 /पटना, दिनांक :- 15/11/16

मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4688 दिनांक 23.07.2015 द्वारा विभाग को समर्पित पत्र में श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के विरुद्ध सरकारी दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार नहीं करने, कार्यालय में विवाद उत्पन्न करने एवं उच्चाधिकारियों के निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

2. प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अस्वीकार योग्य पाते हुए कार्यालय आदेश संख्या-120-सह-पठित ज्ञापांक 1433 दिनांक 25.04.216 द्वारा निलंबित किया गया एवं कार्यालय आदेश संख्या- 144-सह-पठित ज्ञापांक 1848 अनु० दिनांक 08.06.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

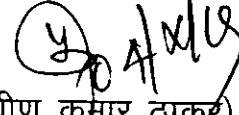
3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 80 अनु० दिनांक 29.08.2017 द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरुद्ध गठित दो आरोपों में आरोप सं०-1 को अप्रमाणित एवं आरोप सं०-2 को आंशिक प्रमाणित पाया गया। जिसके समीक्षोपरान्त सहमति संसूचित करते हुए श्री शर्मा से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री शर्मा के पत्रांक शून्य दिनांक 09.02.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। जिसके समीक्षोपरान्त आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ को कार्यालय आदेश संख्या-58-सह-पठित ज्ञापांक 2032 दिनांक 20.08.2018 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करते हुए निलंबन अवधि को विनियमित किया गया।

4. श्री शर्मा द्वारा उक्त अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए अपीलीय प्राधिकार द्वारा श्री शर्मा को कार्यालय आदेश संख्या-58-सह-पठित ज्ञापांक 2032 दिनांक 20.08.2018 द्वारा अधिरोपित शास्ति असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक को निरस्त किया गया, जिसे ज्ञापांक संख्या-460 दिनांक 20.02.2019 द्वारा संबंधितों को संसूचित किया गया।

5. श्री शर्मा के पत्रांक शून्य दिनांक 22.02.2019 द्वारा विभाग को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अपने विरुद्ध निर्गत दण्डादेश को निरस्त किये जाने के कारण दिनांक 25.04.2016 से दिनांक 20.08.2018 तक के निलंबन अवधि को विनियमित करते हुए पूर्ण वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

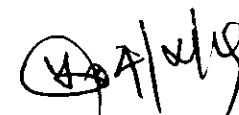
6. चूंकि श्री शर्मा को अधिरोपित शास्ति असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक को सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव उक्त आलोक में श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ सम्प्रति कार्य प्रमंडल, महनार के निलंबन अवधि दिनांक 25.04.216 से दिनांक 20.08.2018 को कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा उक्त अवधि को पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जायगी।


(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

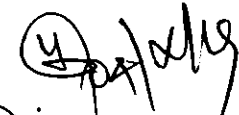
ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-4-57/2015 2905 /पटना/दिनांक:- 15.10.19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं गया/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ, शेरघाटी एवं महनार/प्रशाखा पदाधिकारी-8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ सम्प्रति कार्य प्रमंडल, महनार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

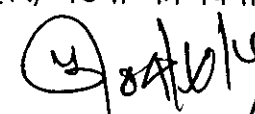
ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-4-57/2015 2905 /पटना/दिनांक:- 15.10.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, विश्वेसरैया भवन/महुआ/शेरघाटी/महनार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-4-57/2015 2905 /पटना/दिनांक:- 15.10.19

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

(2)
अधीक्षण अभियंता